परिशिष्ट "ब" [21/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 3575]

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

F2/7/2013/22/P1

क्रमांक. आर 983/13/22/पं.1 भोपाल, दिनांक 20/07/2013

प्रति,

1– कलेक्टर
जिला –समस्त,
मध्यप्रदेश।

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–समस्त
मध्यप्रदेश।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः– ग्राम पंचायतों के सचिवों के लिए अंशदायी पेंशन योजना।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 69 एवं मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 के अंतर्गत राज्य की ग्राम पंचायतों की सेवा नियोजित ग्राम पंचायत के सचिवों के लिए पूर्व से पेंशन योजना लागू न होने के कारण नवीन अंशदायी पेंशन योजना निम्नलिखित अनुसार लागू की जाए :–

1. ग्राम पंचायत सचिवों के लिए अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन [illegible] योजना जारी करने के उपरांत यह योजना अनिवार्य होगी।

2. इस योजना को लागू करने के संबंध में स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में पृथक से भी विनिर्दिष्ट किया जायेगा, इस विनिर्दिष्टकरण आदेश में संबंधित पंचायत समानुपातिक अंशदान की कटौत्री पश्चात् संबंधित जनपद पंचायत (आहरण संवितरण अधिकारी) को बजट के माध्यम से राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

3. इस योजना के अंतर्गत मूल वेतन महगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि [illegible] के मासिक अंशदान के रूप में वेतन देयक से सीधे काटी जायेगी। [illegible] अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4. ग्राम पंचायत के सचिवों के अंशदान की गणना में कटोत्रा हेतु मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते/विशेष वेतन आदि को शामिल नहीं किया जायेगा।

5. ग्राम पंचायत के ऐसे सचिव जो इस योजना के प्रभावशील होने के पश्चात नियुक्त हुए हैं उनके लिए यह योजना अनिवार्य होगी। पूर्व से नियुक्त ऐसे सचिव जिनका अधिवार्षिकी आयु सीमा अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक से 10 वर्ष या उससे अधिक की शेष हो तथा जिन्होने अंशदायी पेंशन योजना स्वीकार करने हेतु विकल्प दिया हो उन ग्राम पंचायत सचिव को भी अंशदायी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

6. जो ग्राम पंचायत सचिव अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य नहीं होगे उनके लिए सी.पी.एफ कटोत्रा योजना पूर्ववत लागू रहेगी।

7. अंशदान की राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के वेतन से काटी जायेगी। इस काटी गई राशि एवं नियोक्ता के अंशदान के साथ आहरण कर आयुक्त, पंचायत राज द्वारा इस बावत खोले गये पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा।

8. ग्राम पंचायत के सचिवों के सेवा में उपस्थित होते ही निर्धारित पंजीयन प्रपत्र में स्वयं से संबंधित जानकारी/विवरण यथा नाम, वेतनमान, जन्मतिथि, नामांकन तथा नामांकित व्यक्ति के संबंध में जानकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

9. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्देश के अनुसार संबंधित कर्मचारी से पंजीयन एवं अन्य संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करेगा।

10. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह दायित्व भी होगा कि वह अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करायेगा।

11. जिला एवं जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों की जानकारी को एकजाई कर प्रत्येक माह की 15 तारीख के पहले निर्धारित एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी।

12. इस योजना अंतर्गत विस्तृत अभिलेखो के रख-रखाव का कार्य एन.एस.डी.एल (National Securities Depository Limited) द्वारा किया जावेगा।

13. ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण आदि की स्थिति में नये खाते आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी एवं पूर्व में खोला गया खाता ही निरंतर रहेगा।

Scanned with CamScanner

14. ग्राम पंचायत सचिवों की असामयिक मृत्यु सेवा से पृथक किये जाने की स्थिति में अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में अंतिम भुगतान की कार्यवाही संबंधित प्रक्रिया पृथक से निर्धारित की जावेगी।

15. जमा राशि पर योजना के प्रावधान के अनुरक्षण फण्ड मैनेजरों द्वारा निवेश किये जाने पर प्रतिफल प्राप्त होगा। इस राशि पर शासन द्वारा कोई ब्याज अथवा अन्य भुगतान देय नहीं होगा।

16. इस योजना में सम्मिलित सभी ग्राम पंचायत सचिवों को N.S.D.L द्वारा ऑनलाईन सुविधा के माध्यम से वार्षिक लेखा की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

17. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी अंशदान के साथ-साथ नियोक्ता अंशदान की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा की जाना होगी। राज्य शासन द्वारा एन.पी.एस. ट्रस्ट के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार रिकार्ड कीपिंग के लिये सेवा शुल्क का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया जायेगा। कर्मचारी अंशदान के समतुल्य राशि जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा जमा की जावेगी।

18. ग्राम पंचायत सचिवों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु आयुक्त पंचायत राज को नोडल कार्यालय बनाते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अरुणा शर्मा) 20/5/13

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner